कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष
स्वामी आत्मानन्द शासकीय उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
ब्रम्हपारा, अम्बिकापुर, जिला – सरगुजा (छ0ग0)

–:: आदेश ::–

अम्बिकापुर, दिनांक – 09 / 12 / 2020

क्रमांक / स्था0 / स्कूल शिक्षा / संविदा भर्ती(अं.मा.) / 9673 / 2020–21, :: छ0ग0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर का आदेश क्रमांक / एफ 23–08 / 2020 / 20–3 / 39, अटल नगर, नवा रायपुर / दिनांक 03.07.2020 द्वारा दिये गये पद अनुसार स्वामी आत्मानन्द शासकीय उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ब्रम्हपारा, अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा (छ0ग0) में अद्योलिखित पदों पर चयनित अभ्यर्थी तालिका क्रमांक–04 को निम्नांकित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है –

क्र	पदनाम	विषय	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	निवास जिला	संविदा मानदेय
1	2	3	4	5	7	8
1	व्याख्याता	भौतिकी (अंग्रेजी माध्यम)	कृष्णमोहन विश्वकर्मा	श्री भरत विश्वकर्मा	सूरजपुर	38100 / –
2	शिक्षक	अंग्रेजी	पूजा चौबे	श्री बिरेन्द्र चौबे	सूरजपुर	35400 / –
3	शिक्षक	गणित (अंग्रेजी माध्यम	रितिका अग्रवाल	श्री सीताराम अग्रवाल	सरगुजा	35400 / –
4	शिक्षक	विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	डॉ0 रश्मि शर्मा	डॉ0 प्रशांत कुमार शर्मा	बिलासपुर	35400 / –
5	सहायक शिक्षक	गणित (अंग्रेजी माध्यम)	शिखा गोयल	श्री नीरज गोयल	सरगुजा	25300 / –

यह नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :–

1. यह नियुक्ति "संविदा नियुक्ति छ0ग0 सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012" के अधीन होगी।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। शासन के द्वारा नियुक्ति अथवा कार्य–व्यवहार के आधार पर किसी भी समय पदच्युत किया जा सकेगा।
3. संविदा पर नियुक्त उम्मीदवारों को नियमित कर्मियों के समान आकस्मिक एवं ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी, किन्तु अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जाएगा। आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश पूर्ण महीनों के लिए अनुपातिक आधार पर दिये जाएगें।
4. किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा होने पर वह नियमितिकरण के लिए किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकेगा और ना ही उस पद के विरूद्ध उस व्यक्ति विशेष को नियमित भर्ती के समय कोई प्राथमिकता / छूट दी जाएगी।
5. अभ्यर्थी का कार्य–व्यवहार एवं परीक्षा परिणाम संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में उन्हें एक माह का नोटिस देकर उनकी संविदा नियुक्ति सेवाएं समाप्त की जा सकेगी। नियुक्त व्यक्ति भी एक माह का सूचना या एक माह का वेतन देकर सेवा से त्याग–पत्र दे सकता है।
6. चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया ही मान्य किये जायेगें।
7. भविष्य में शासन द्वारा उक्त पदों पर नियमित भर्ती किये जाने पर यह नियुक्ति स्वयमेव निरस्त मानी जावेगी।
8. नियुक्ति आदेश में यदि कोई लिपिकीय त्रुटि पाई जाती है तो वह कार्यालय द्वारा सुधार योग्य है।
9. चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश प्रतिवर्ष शिक्षा सत्रांत तक के लिए वैध होगा, शिक्षा संत्रात समाप्त होते ही अगली तिथि / कार्य दिवस को कर्मचारियों के नियुक्ति आदेश का नवीनीकरण किया जायेगा, किन्तु इस शर्त पर कि "शिक्षक / कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्यों का भली–भांति पालन

किया हो, अध्यापन कार्य में उत्कृष्ट रहा हो तथा विद्यार्थियों व अन्य सहकर्मियों के साथ आचरण कुशल रहा हो।

10. अभ्यर्थी का कार्यभार ग्रहण करने के तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व समस्त आवश्यक मूल प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति स्व–प्रमाणित कर पदस्थापना शाला में प्रस्तुत करना होगा।
11. चयनित अभ्यर्थियों को जारी आदेश के 15 दिवस के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक उपस्थित न होने पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वयमेव निरस्त हो जावेगी।
12. मासिक एक मुश्त राशि का निर्धारण वह होगा जो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
13. कार्यभार ग्रहण करने पश्चात् पदस्थापना स्थल में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र एक माह के अन्दर प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित अवधि में स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र अप्राप्त रहने पर संविदा सेवाएं एकपक्षीय रूप से समाप्त कर दी जावेगी।
14. संविदा में नियुक्त कर्मचारी को पदस्थापना स्थल में ही रहना अनिवार्य होगा। निवासरत न होने व मुख्यालय में न रहने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए बिना कारण बताओ सूचना के ही संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
15. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
16. उपरोक्तानुसार चयनित अभ्यर्थी को .सर्वप्रथम अपना उपस्थिति प्रतिवेदन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर, सरगुजा में देना होगा।
17. चयनित उम्मीदवारों के प्रमाण–पत्रों की जांच में किसी प्रकार की असत्यता पाई जाने पर भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जाएगी एवं नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी।

कलेक्टर एवं अध्यक्ष
स्वामी आत्मानन्द शास.उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम)
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ब्रम्हपारा
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ0ग0)

क्रमांक / स्था0 / स्कूल शिक्षा / संविदा भर्ती(अं.मा.) /9674/ 2020–21, अम्बिकापुर, दिनांक / 09 / 12 / 2020
प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव छ0ग0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर।
2. संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छ0ग0 इन्द्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर।
3. आयुक्त सरगुजा संभाग अम्बिकापुर छत्तीसगढ़।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा अम्बिकापुर छत्तीसगढ़।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा संभाग अम्बिकापुर छत्तीसगढ़।
6. जिला शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अम्बिकापुर, सरगुजा को सूचनार्थ
8. सहायक संचालक जिला जनसम्पर्क कार्यालय अम्बिकापुर को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
9. प्राचार्य स्वामी आत्मानन्द शासकीय उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) उ0मा0वि0 ब्रम्हपारा अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. संबंधित श्री / श्रीमती / कु0 .... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर एवं अध्यक्ष
स्वामी आत्मानन्द शास.उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम)
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ब्रम्हपारा
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ0ग0)